न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –9/2011 जिला दौसा

1. कल्याण सहाय उम्र 65 साल पुत्र ग्यारसा जाति मीणा, निवासी ग्रम बासडी (बोरोदा) तहसील व जिला दौसा ।
2. भींवा उम्र 75 साल पुत्र रामपाल, जाति मीणा, निवासी खातीवाली ढाणी, रामपुरा उर्फ महाराजपुरा, तहसील व जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. कैलाश पुत्री हरदान सिंह पत्नि सवाई सिह
2. बुद्ध सिंह पुत्री भैंरूसिंह
3. भरत सिंह पुत्र बुद्धसिंह
4. गोविन्द सिंह पुत्र बुद्धसिंह
5. महेन्द्र सिंह पुत्र बुद्ध सिंह
6. प्रेम बाई पुत्री बुद्ध सिंह
7. मीरा बाई नाबालिग पुत्री बुद्ध सिंह जरिए संरक्षक पिता बुद्ध सिंह पुत्र भैंरूसिह
8. पईया नाबालिग पुत्री बुद्धसिंह जरिए संरक्षक पिता बुद्ध सिंह पुत्र भैंरूसिंह
   समस्त कजाति राजपूत निवासी ग्रम घेवर तहसील राजगढ, जिला अलवर ।
9. गोपाल सिंह पुत्र हरदान सिंह, जाति राजपूत , निवासी रामपुरा उर्फ महाराजपुरा, तहसील व जिला दौसा ।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 2.9.2008

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री आत्माराम शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री विनोद कुमार विजय

निर्णय

दिनांक– 6.2.2018

यह द्वितीय अपील अपीलान्ट्स द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी दौसा के निर्णय दिनांक 2.9.2008 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत की है । प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

यह कि ग्रम रामपुरा, तहसील व जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 15/1 लागायत 15/14 व खसरा नम्बर 79 कुल किता 2/15 कुल रकबा 60 बीघा 7 बिस्वा का खातेदार हरदान सिंह पुत्र गोविन्द सिंह राजपूत था जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 34 ग्रम पंचायत बोरोदा द्वारा दिनांक 10.11.1968 को गोपाल सिंह पुत्र हरदान सिंह के नाम स्वीकार किया गया । उक्त नामांतरकरण के खिलाफ मृतक खातेदार हरदान सिंह की पुत्रियॅा सायर व कैलाश द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा के समक्ष दिनांक 1.10.2007 को अर्थात 39 साल के विलम्ब से प्रस्तुत की, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.9.2008 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 34 ग्रम रामपुरा दिनांक 10.11.68 ग्रम पंचायत बोरोदा निरस्त किया जाकर प्रकरण विधिवत जॅाच कर उभयपक्ष को सुनकर नामांतरकरण निर्णित करने हेतु तहसीलदार दौसा को प्रतिप्रेषित किया गया । उप खण्ड अधिकारी दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 2.9.2008 के खिलाफ अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील दिनांक 17.3.2011 को मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं धारा 96 सी. पी.सी. के प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार हरदान सिंह था जिसके फौत होने पर विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण गोपाल सिंह पुत्र हरदान सिंह के नाम ग्रम पंचायत द्वारा 10.11.1968 को तस्दीक कर दिया था । विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार गोपाल सिंह पुत्र हरदान सिंह ने विवादित भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों से विभिन्न व्यक्तियों को विक्रय करदी थी ओर विक्रय पत्रों के आधार पर क्रमशः दिनांक 28.11.76, 23.7.79, 18.4.80, 28.5.2002 को 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि का भींवा पुत्र रामपाल मीणा अपीलान्ट संख्या 2 के नाम , 10 बीघा भूमि का जौहरी लाल मीणा के नाम , 25 बीघा 2 बिस्वा भूमि का अपीलान्ट संख्या 1 कल्याण पुत्र ग्यारसा मीणा के नाम एवं 84 एयर भूमि का पूरण पुत्र श्योला राम रैगर के नाम नामांतरकरण तस्दीक हो गये हैं । हरदान सिंह की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 34 दिनांक 10.11.1968 के खिलाफ सायर व कैलाश पुत्रियॉ हरदान सिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील 39 साल के विलम्ब से प्रस्तुत की थी, जो सरासर मियाद बाहर थी एवं विलम्ब को क्षमा करने का कोई पर्याप्त कारण भी नहीं था , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश से अपील अवैध रूप से स्वीकार की है । उनका कहना था कि अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 2.9.2008 के खिलाफ न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर में पूरण पुत्र श्योलाराम रैगर द्वारा अपील पेश की थी जिसमें निर्णय दिनांक 1.12.2011 पारित कर अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 2.9.2008 निरस्त कर दिया था । इसी अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अपीलान्ट्स ने यह अपील पेश की है जिसे भी स्वीकार फरमाई जावे । उनका कहना था कि यदि एक ही आदेश के विरूद्ध दो अपीलें की गई हो और यदि एक अपील को स्वीकार कर ली गई है और अपीलाधीन आदेश निरस्त कर दिया गया है तो उसी आदेश के विरूद्ध की गई दूसरी अपील में भी वहीं आदेश पारित किया जावेगा जो प्रथम अपील में पारित किया जा चुका है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि का खातेदार हरदान सिह था । सायर व कैलाश मृतक खातेदार हरदान सिंह की जायन्दा पुत्रियॉ हैं , जिन्हें हरदान सिंह की विरासत के नामांतरकरण में ग्रम पंचायत द्वारा छोड दिया गया था । सायर व कैलाश मृतक खातेदार हरदान सिंह की दायन्दा पुत्रियॉ होने से उन्हें अपने पिता की भूमि में हक प्राप्त करने का विधिक अधिकार है एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वे प्रथम श्रेणी की वारिस है । ग्रम पंचायत द्वारा मृतक की पुत्रियों को बिना सुने व सुनवाई का अवसर दिये बिना व बिना विधिक वारिसान की जॉच किये तथा विवादित भूमि पर कब्जे काश्त की जॉच किये बिना ही केवल गोपाल सिंह पुत्र हरदान सिंह अकेले के नाम नामांतरकरण तस्दीक किया है , जो विधि विरूद्ध, त्रुटिपूर्ण एवं प्राकृकि न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से उसे चुनौती देने के लिये कोई समय सीमा बाधित नहीं है । उनका कहना था कि माननीय उच्च न्यायालय एवं विभिन्न न्यायालयों द्वारा मियाद के संबंध में अपने अनेकों निर्णयों में यह अभिमत व्यक्त किया है कि यदि प्रकरण गुणावगुण पर ठोस हो तो न्यायालयों को मियाद के संबंध में लचिला रूख अपनाना चाहिये । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.9.2008 पारित कर मियाद के संबंध में धारा 5 एवं धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्रों को स्वीकार करते हुये अपील अन्दर मियाद मानी है ओर गुणावगुण के आधार पर अपील स्वीकार करते हुये नामांतरकरण संख्या 34 दिनांक 10.11.68 निरस्त कर प्रकरण विधिवत जॉच कर उभयपक्ष का सुनकर नामांतरकरण निर्णय करने हेतु तहसीलदार दौसा को रिमाण्ड किया है । उनका यह भी कहना था कि अपीलाधीन आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में पूरण पुत्र श्योला राम द्वारा अपील प्रस्तुत की थी जिसमें रेस्पोंडेन्ट्स की अनुपस्थिति में अपीलान्ट की एकपक्षिय बहस सुनकर निर्णय दिनांक 1.12.2011 पारित कर पूरण की अपील स्वीकार करते हुये अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 2.9.2008 निरस्त कर दिया था , जिसके खिलाफ रेस्पोंडेन्ट द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की हुई है, जो विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में यह अपील मेन्टेनेबल नहीं है । अतः प्रकरण में न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से निर्णय होने तक इस अपील को लम्बित रखा जावे एवं राजस्व मण्डल के निर्णय के अनुसार ही निर्णित की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार हरदान सिंह की

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

विरासत के नामांतरकरण का है जो ग्रम पंचायत द्वारा हरदान की पुत्रियों को छोडते हुये केवल पुत्र. गोपाल सिंह के नाम तस्दीक किया गया है । गोपाल सिंह द्वारा विवादित भूमि जरिये रजिस्र्ड विक्रय पत्रों से अपीलान्ट्स को विक्रय की है एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 कैलाश हरदान सिंह की पुत्री होने एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 8 हरदान सिंह की दूसरी पुत्री सायर के वारिसान है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.9.2008 पारित कर हरदान सिंह की पुत्रियों की अपील स्वीकार करते हुये नामांतरकरण संख्या 34 दिनांक 10.11.68 निरस्त किया है तथा प्रकरण विधिवत जॉच कर उभयपक्ष का सुनकर नामांतरकरण निर्णय करने हेतु तहसीलदार दौसा को रिमाण्ड किया है । अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 2.9.2008 के खिलाफ इस न्यायालय में पूरण पुत्र श्योला राम द्वारा अपील प्रस्तुत की थी जिसमें रेस्पोंडेन्ट्स की अनुपस्थिति में अपीलान्ट की एकपक्षिय बहस सुनकर निर्णय दिनांक 1.12.2011 पारित कर पूरण की अपील स्वीकार करते हुये अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 2.9.2008 निरस्त कर दिया था , जिसके खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की निगरानी न्यायालय राजस्व मण्डल में विचाराधीन होना बताया गया है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलान्ट विवादित भूमि का विधिवत क्रेता है एवं अपीलान्ट का नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित है । विवादित भूमि के खातेदार हरदान सिंह की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ हरदान सिंह. की पुत्रियों सायर व कैलाश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि वह प्रभावित पक्षकार है । हम समझते हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में किसी भी हितबद्ध व्यक्ति को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है एवं प्रकरण उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उप खण्ड अधिकारी दौसा को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी दौसा दिनांक 2.9.2008 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पाारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर